संक्षिप्त समाचार

सेवा संकल्प अभियान में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

घोसी, मऊ। सेवा संकल्प अभियान के तहत सर्वोदय पीजी कॉलेज घोसी में नुक्कड़ नाटक एवं तहसील स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र-छात्राओं ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। भाषण प्रतियोगिता में अम्बिका दत्त पाण्डेय ने प्रथम, विनीता ने द्वितीय और दिव्यांशु राय ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यार्थियों ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर प्रभावी ढंग से अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रतीक जायसवाल ने कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच मिलता है। विशिष्ट अतिथि सुनील गुप्ता ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि युवा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कार्यक्रम के अधिकारी डॉ. उदय प्रताप ने भी प्रतिभागियों की सराहना की। इस दौरान जिला मंत्री रविंद्र उपाध्याय, मंडल अध्यक्ष नागेंद्र मद्धेशिया, मंडल उपाध्यक्ष इंद्र बहादुर सिंह, मंडल महामंत्री सुनील, राजीव चौबे सहित डॉ. संजय राय, डॉ. शैलेन्द्र पाण्डेय, संतोष कुमार राय, नितिल कुमार श्रीवास्तव, अजय मिश्र, अमरनाथ जायसवाल, चंदन मिश्र, ज्ञान प्रकाश पाण्डेय, राहुल कुमार त्रिपाठी एवं अन्य प्राध्यापक-कर्मचारी मौजूद रहे।

चलते टेंपो से कूदी किशोरी, बांस की कोठी में छिपकर बचाई जान

जौनपुर। जलालपुर थाना क्षेत्र के नत्थनपुर गांव के पास गुरुवार को बंद बॉडी वाले टाटा टेंपो से एक 16 वर्षीय किशोरी के कथित अपहरण का मामला सामने आने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। किशोरी के मुताबिक, अपहरण के करीब तीन किलोमीटर बाद उसने साहस दिखाते हुए चलते टेंपो से छलांग लगा दी और सड़क किनारे स्थित बांस की कोठी में छिपकर अपनी जान बचाई। किशोरी ने पुलिस को बताया कि टेंपो के अंदर सात अन्य लड़कियां भी थीं, जिनके हाथ-पैर बंधे हुए थे और चेहरे नकाब से ढके थे। हालांकि, किशोरी के इस दावे की पुलिस जांच कर रही है। जलालपुर क्षेत्र के हीरापुर गांव निवासी पतिराम यादव की 16 वर्षीय पुत्री अंजली यादव गुरुवार को घर से कुछ दूरी पर नत्थनपुर गांव के पास घास काटने गई थी। किशोरी के अनुसार, इसी दौरान एक बंद बॉडी वाला टाटा टेंपो उसके पास आकर रुका। टेंपो से दो युवक नीचे उतरे और उसे अपने पास बुलाया। किशोरी ने बताया कि उसे लगा कि युवक रास्ता पूछने के लिए बुला रहे हैं। जैसे ही वह उनके पास पहुंची, दोनों ने कथित तौर पर उसका मुंह दबा दिया और जबरन टेंपो के अंदर बैठा लिया।

ग्रामीणों को जनकल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी

मऊ। सेवा संकल्प अभियान के तहत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा नामित नुक्कड़ नाटक टीम द्वारा आज मधुबन के दुबारी मोड़ पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सरल एवं मनोरंजक तरीके से दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मा. विधायक मधुबन श्री रामविलास चौहान उपस्थित रहे। नुक्कड़ नाटक के कलाकारों ने अपने अभिनय एवं संवादों के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सहित विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य एवं पात्र लाभार्थियों को मिलने वाले लाभों की जानकारी दी।

सूचना-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है।कि मेरा हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2013 अनुक्रमांक 1483009 एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2015 अनुक्रमांक 1026122 का प्रमाण पत्र वास्तव में खो गया है।कु0 माधुरी पाल पुत्री पप्पू पाल पता टिकरा उन्नाव।

सूचना-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2010 अनुक्रमांक 0590729 का प्रमाण पत्र वास्तव में खो गया है। कु0 रिया सविता पुत्री महेश चन्द्र सविता पता कानपुर देहात।

सूचना-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2006 अनुक्रमांक 1714747 का प्रमाण पत्र वास्तव में खो गया है।कु0 रश्मि त्रिपाठी पुत्री श्री दिलीप कुमार पता प्रयागराज।

सी0एम0 युवा विकास अभियान योजना के अंतर्गत लाभार्थी के सफलता की कहानी

जौनपुर। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना युवाओं के लिए स्वरोजगार का मजबूत माध्यम बन रही है। योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिल रहा है। जौनपुर के लाभार्थियों ने योजना का लाभ लेकर स्वरोजगार शुरू किया और अपने साथ अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ा। लाभार्थी लाभार्थी ''गौरव कुमार यादव'' निवासी ग्राम, जर्रो, पोस्ट, मल्हनी, जिला जौनपुर का निवासी जिन्होने बीएड, बीटीसी तक पढ़ाई की है, घर की आर्थिक स्थिती अच्छी न होने का कारण उन्होने मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान योजना के बारे में जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, जौनपुर से सम्पर्क किया और योजना के माध्यम से रू 5 लाख की वित्तीय सहायता'' प्राप्त कर डिजिटल लाइब्रेरी का व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने कहा कि योजना के सहयोग से उन्हें अपनी शिक्षा का उपयोग करते हुए स्वरोजगार स्थापित करने का अवसर मिला। उन्होंने ''प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी योजनाएं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हैं।''इसी प्रकार ''रुबीना पुत्री श्री सलीम शेख'' जौनपुर ने बताया कि रोजगार की तलाश के दौरान उन्हें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की जानकारी मिली। योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, जौनपुर के सहयोग से उन्हें रूपये 5 लाख का ऋण'' प्राप्त हुआ। इससे उन्होंने अपना स्वरोजगार शुरू किया और वर्तमान में पांच अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। इसके लिए उन्होंने ''उत्तर प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया।''लाभार्थी ''आदित्य अग्रहरी'' निवासी उमरपुर रुहट्टा जौनपुर जिन्होंने स्नातक बीकम की पढ़ाई की है और रोजगार के लिए प्रयासरत थे परन्तु सफलता नही मिल पा रही थी तब मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत रू 5 लाख का ऋण'' प्राप्त कर अपना स्वरोजगार शुरू किया। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ मिलने से रोजगार की तलाश कर रहे युवा को अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिला। उन्होंने ''उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन तथा जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, जौनपुर का आभार व्यक्त किया।''लाभार्थियों ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के माध्यम से उन्हें ''रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर'' मिला है। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के हित में संचालित इस योजना के लिए धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया और जनपद के अन्य लाभार्थियों को योजना का लाभ प्राप्त कर स्वरोजगार से जुड़ाने हेतु प्रेरित किया।

सेवा संकल्प अभियान के तहत विकास खंड दोहरीघाट में बहुउद्देशीय कार्यक्रम आयोजित

मऊ। सेवा संकल्प अभियान के तहत जनपद के समस्त विकास खंडों में विभिन्न बहुउद्देशीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज विकास खंड दोहरीघाट में बहुउद्देशीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक श्री रामविलास चौहान ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्री रामविलास चौहान ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि पात्र प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं जनसुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जनपद में कराए जा रहे विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी कार्यों की जानकारी देते हुए आमजन से इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा अपने-अपने विभाग से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी भी लोगों को प्रदान की गई। बहुउद्देशीय कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों एवं बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों की सहभागिता रही।

वर्दी की आड़ में वसूली का खेल!

जौनपुर। पुलिस की वर्दी और पद की आड़ में जबरन वसूली व लूट के दो मामलों ने पुलिस महकमे में खलबली मचा दी है। जलालपुर और सुरेरी थाने में दर्ज मुकदमों की जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने जांच शुरू होने के महज 24 घंटे के भीतर कथित वारदात में शामिल पुलिसकर्मियों की पहचान करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार दो निलंबित आरक्षियों समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जलालपुर प्रकरण में नामजद दो आरोपितों ने पुलिस दबिश के बीच न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। मामले में सुरेरी के तत्कालीन थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक दिव्य प्रकाश सिंह को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार थाना जलालपुर में 17 सितंबर को मुकदमा संख्या 416/2026 दर्ज किया गया। इसमें संकीत सिंह, विकास और चार अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया है। शिकायत के मुताबिक 15 सितंबर को संकीत सिंह पीड़ित को अपने साथ ले गया। आरोप है कि वहां चार पहिया वाहन में पहले से मौजूद चार लोगों ने उसे जबरन वाहन में बैठाया और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि इसके बाद पीड़ित से रुपये की मांग की गई। उसका मोबाइल छीनकर यूपीआई के माध्यम से अलग-अलग खातों में करीब 2.15 लाख रुपये स्थानांतरित कराए गए। इसके अलावा एटीएम के जरिए भी रुपये निकलवाने का आरोप है। दूसरा मामला थाना सुरेरी में 22 सितंबर को मुकदमा संख्या 141/2026 के रूप में दर्ज हुआ। इसमें राजेंद्र दूबे निवासी फुलवरिया, थाना बड़ागांव, कमिश्नरेट वाराणसी को नामजद किया गया है। मुकदमे में सादे कपड़ों में मौजूद बताए गए तीन-चार अज्ञात पुलिसकर्मियों तथा खाताधारक वंशनरायन गिरी को भी आरोपित बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित ने आरोप लगाया कि 13 सितंबर को राजेंद्र दूबे ने उसे फोन कर मिलने के लिए बुलाया था। वहां सादे कपड़ों में मौजूद तीन-चार लोगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और उसे वाहन में बैठाकर ले गए। आरोप है कि वहां उससे करीब 1.65 लाख रुपये की वसूली की गई और यूपीआई के माध्यम से वंशनरायन गिरी के खाते में रकम स्थानांतरित कराई गई। तत्कालीन थानाध्यक्ष निलंबित, डीआईजी ने गठित की पांच सदस्यीय एसआईटी मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सुरेरी के तत्कालीन थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक दिव्य प्रकाश सिंह को 18 सितंबर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। दोनों मामलों की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र ने 22 सितंबर को पांच सदस्यीय एसआईटी गठित की। एसआईटी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जांच कर रही है। टीम का नेतृत्व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर गोल्डी गुप्ता कर रही हैं। टीम में सह-विवेचक के रूप में एक निरीक्षक और एक उपनिरीक्षक को भी शामिल किया गया है। पुलिस के अनुसार एसआईटी की जांच में पुलिसकर्मियों की कथित संलिप्तता सामने आने के बाद 23 सितंबर को तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपितों में– मनीष पटेल, निवासी कबीरुद्दीनपुर, थाना सुरेरी। निलंबित आरक्षी सत्येंद्र कुमार गौड़, पूर्व तैनाती थाना सुरेरी। निलंबित आरक्षी विष्णु सिंह, पूर्व तैनाती थाना सुरेरी शामिल हैं।

'समाचार पत्र विक्रेताओं के बीच मनाया गया ज्ञान प्रकाश सिंह का जन्मदिन'

जौनपुर। समाचार पत्र विक्रेता संघ जौनपुर की एक बैठक जिला कार्यालय धरनीधरपुर, मीरपुर में जिला अध्यक्ष राम सहारे मौर्य की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान महान समाजसेवी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता ज्ञान प्रकाश सिंह के 64वें जन्मदिन के अवसर पर समाचार पत्र विक्रेताओं को फल वितरित कर जन्मदिन मनाया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष राम सहारे मौर्य ने कहा कि ज्ञान प्रकाश सिंह ने समाचार पत्र विक्रेताओं को अपना सहयोग प्रदान करते हुए उनकी जरूरतों का ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष सर्दी के मौसम में भी समाचार पत्र विक्रेताओं को ड्रेस और जैकेट वितरित किए गए थे, जिससे विक्रेताओं को काफी राहत मिली। उन्होंने कहा कि समाचार पत्र विक्रेता प्रतिदिन सुबह से ही लोगों तक समाचार पत्र पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसे में उनके हित में किए जाने वाले सहयोग और सामाजिक सरोकार के कार्य महत्वपूर्ण हैं। इस अवसर पर अवधेश यादव, अम्बुज मिश्रा , बिट्टू कुमार, अवधेश मौर्य, मंगरु राम मौर्य, नरेंद्र मौर्य, सुनील मौर्य, राजेश मौर्य, पंकज मौर्य, विजय शर्मा, शैलेंद्र मौर्य, पवन मौर्य, रवि शर्मा, नीरज मौर्य, भरत लाल मौर्य, कुलदीप साहू, मनोज मौर्य, अश्विनी गुप्ता, मोहम्मद इलियास, गुलफाम, सतीश मौर्य सहित अन्य समाचार पत्र विक्रेता उपस्थित रहे।

जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ लाभार्थियों को मिला सम्मान

घोसी, मऊ। सेवा संकल्प अभियान के तहत गुरुवार को नगर पंचायत घोसी के सभागार में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन कराए गए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 18 तथा फैमिली आईडी के 15 ऑनलाइन आवेदन कराए गए। वहीं प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 15 और पीएम स्वनिधि योजना के 10 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी प्रतीक जायसवाल के नेतृत्व में हुआ। अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार की मौजूदगी में अधिकारियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों को विभिन्न योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और मिलने वाले लाभ की जानकारी दी। मुख्य अतिथि प्रतीक जायसवाल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से गरीब, जरूरतमंद, छोटे कारोबारियों और पात्र परिवारों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पात्र लोगों को योजनाओं की जानकारी लेकर समय से आवेदन करना चाहिए, ताकि उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके।

भूमि विवाद में उपजिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर की स्थलीय जांच

घोसी, मऊ। तहसील क्षेत्र के ग्राम बहरामपुर में भूमि विवाद से जुड़े चंद्रशेखर बनाम फूलचंद आदि प्रकरण में उपजिलाधिकारी अशोक सिंह ने गुरुवार को राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। यह मामला उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत विचाराधीन है। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी ने स्थानीय लेखपाल दिनेश यादव के साथ विवादित भूमि की मौके पर स्थिति देखी। उन्होंने संबंधित भूमि की स्थिति, सीमांकन एवं उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का अवलोकन करते हुए मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी ली।

उत्तर रेलवे

खुली निविदा सूचना (ई–निविदा)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेलवे प्रबंधक (इंजीनियरिंग), उत्तर रेलवे, लखनऊ द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ई–निविदा प्रणाली द्वारा जिसकी अंतिम निविदा तिथि दिनांक 16.10.2026 को 15:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। इस निविदा के मैनुयल आफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे यदि कोई मैनुवल ऑफर आता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

1	निविदा सूचना संख्या	00962026 दिनांक 23.09.2026
2	निविदा संख्या	14-Sr.DEN-II-LKO/2026-27
3	कार्य का नाम	वरिष्ठ अनुभाग अभियंता/कार्य/पीबीएच के अनुभाग में ADEN-PBH के अधीन रनिंग रूम में एक नए ब्लॉक का निर्माण, जिसमें 16 डबल बेड रूम, जिसमें महिला कर्मचारियों के लिए संलग्न शौचालय सहित 02 डबल बेड रूम, संलग्न शौचालय सहित एक सीएलआई कक्ष, प्रतीक्षा क्षेत्र एवं रिसेप्शन, मनोरंजन कक्ष, प्रभारी एवं केयरटेकर कक्ष, सामान्य एवं लिनेन स्टोर कक्ष, रसोईघर एवं भोजन कक्ष का निर्माण तथा पुराने रनिंग रूम भवन की मरम्मत का कार्य शामिल है।
4	अनुमानित लागत	रु. 1,77,61,372.76
5	धरोहर राशि	रु. 3,55,200.00
6	कार्य की समापन अवधि	स्वीकृत पत्र जारी करने की तिथि से 06 माह।
7	निविदा डालने का प्रारंभ	02.10.2026
8	निविदा बंद होने की तिथि एवं समय	16.10.2026 को 15:00 बजे
9	वेबसाइट	www.ireps.gov.in

नोट : निविदा संबंधी अन्य विस्तृत विवरण उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है।

3309/26

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

उत्तर रेलवे

ई–निविदा सूचना

उप मुख्य अभियंता/निर्माण–V, उत्तर रेलवे, लखनऊ द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए निर्धारित प्रोफॉर्मा पर खुली ई–निविदा **एक पैकेट** में आमंत्रित की जाती हैं:–

कार्य का नाम व स्थान	लखनऊ मण्डल के लखनऊ–रायबरेली–प्रतापगढ़–वाराणसी रूट पर जंघई – प्रतापगढ़–अमेठी (87 किमी) के प्रस्तावित दोहरीकरण के संबंध में जंघई–अमेठी के मध्य स्टाफ क्वार्टर के निर्माण का बचा हुआ काम (जिसमें 52 टाइप–II यूनिट, 3 टाइप–III यूनिट, 4 टाइप–IV यूनिट, कैंप ऑफिस और सुपरवाइजर के लिए रेस्टिंग कैंप शामिल हैं), का निर्माण कार्य।		
कार्य पूरा करने की अवधि	06 (छः) माह		
कार्य की अनुमानित लागत	₹525.19 लाख	**धरोहर राशि**	₹10,50,400/- मात्र
ई–निविदा जमा करने की तारीख/समय एवं निविदा खुलने की तारीख	निविदाएं दिनांक **22.10.2026** को 15:00 बजे तक आई.आर.ई.पी.एस. के वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर अपलोड की जा सकती हैं तथा दिनांक **22.10.2026** को समय 15:00 बजे खोली जाएगी।		
विस्तृत निविदा सूचना व प्रपत्र	विस्तृत निविदा सूचना व निविदा प्रपत्र दिनांक **26.09.2026** से आई.आर.ई.पी.एस. के वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध रहेंगे व दिनांक **08.10.2026** से **22.10.2026** तक ई–निविदा अपलोड की जा सकती है।		

संख्या: 21–टेन्डर–उप.मु. अभि./नि.–V/लखनऊ
दिनांक: 23.09.2026

3312/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

एल&टी फाइनान्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एल&टी फाइनान्स लिमिटेड, बृंदावन बिल्डिंग, प्लॉट नं. 177, कलीना, सीएसटी रोड, मर्सडीज़ शोरूम के पास, सांताक्रुज़ (पूर्व), मुंबई 400 098
सीआईएन नं.: L67120MH2008PLC181833
शाखा कार्यालय: लखनऊ

L&T Finance

मांग सूचना

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत (आगे से कानून कहा गया है)

हमने आप सभी (कर्जदारों, सहकर्जदारों और गारंटरों) को रजिस्टर्ड डाक एक्नॉलेज ड्यू के माध्यम से कानून की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की है, क्यों कि आपने बकाया राशियों का भुगतान नहीं किया है, और इस बकाया राशि को चुकता करने में विफल रहे हैं और इसे नजरअंदाज किया है. परिणामस्वरूप नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा जारी किए गए आस्ति वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार बुक ऑफ अकाउंट में लोन अकाउंट को नॉन–परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है. सूचना ''बिना प्राप्ति के लौट आई है'' और इसलिए अब हम कानून की धारा 13(2) के तहत सभी को यह सूचना जारी कर रहे हैं और एतद्द्वारा नीचे सूचना में संलग्न राशि एल&टी फायनांशियल लिमिटेड, इस पेपर अधिसूचना के दिनांक से 60 दिन की अवधि के अंदर मांग सूचना के दिनांक से लेकर भुगतान तक के आगामी ब्याज सहित चुकाने का आवाहन कर रहे हैं. यदि आप इस सूचना के अनुसार अपनी देयताओं को पूरा नहीं करते हैं तो हम कानून की धारा 13(4) या धारा 14 के तहत दिए गए सभी या किसी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए विवश होंगे. ''यह कानून और/या समय समय पर लागू कानून के अनुसार हमें उपलब्ध किन्हीं भी अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना होगा.''

ऋण खाता संख्या	कर्जदारों और सहकर्जदारों का नाम	मांग सूचना दिनांक / एनपीए दिनांक / बकायाराशि		अचल संपत्ति (मॉर्टगेज्ड) का वर्णन
		एनपीए दिनांक	बकाया राशि (₹) यथा	
LUCHL19000005, LUCHL19000036, LUCHL20000043	1. आसिफ खान 2. हुदा खान 3. मे. अल मुआज़ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इसके स्वामी आसिफ खान के माध्यम से	माँग सूचना दिनांक : 08.09.2026 एनपीए दिनांक : 01/09/2026	रु. 65,92,906.18/- (पैंसठ लाख बानवे हजार नौ सौ छह रुपए और अठारह पैसे मात्र) दिनांक 07/09/2026 तक	**अनुसूची –I** तीसरी मंजिल का पिछला भाग, जिसका कारपेट क्षेत्रफल 141.89 वर्ग मीटर एवं सुपर एरिया 202.70 वर्ग मीटर, जो ''कपूरथला आर्केड'' नामक भवन में है, जो प्लॉट नं. बी/4 पर निर्मित है, जो सेक्टर–एफ, अलीगंज स्ट्रीट एंड सिटी एक्सपेंशन स्कीम, वार्ड– अलीगंज, तहसील एवं जिला लखनऊ में स्थित है। इसकी चतुर्सीमाएँ इस प्रकार हैं : पूर्व: रास्ता, लिफ्ट एवं जगह का अगला भाग; पश्चिम: अन्य की संपत्ति; उत्तर: खुला आकाश; दक्षिण: खुला आकाश

दिनांक: 25.09.2026
स्थान: लखनऊ

कृते/–
प्राधिकृत अधिकारी
एल&टी फाइनान्स लिमिटेड के लिए

एल&टी फाइनान्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एल&टी फाइनान्स लिमिटेड, बृंदावन बिल्डिंग, प्लॉट नं. 177, कलीना, सीएसटी रोड, मर्सडीज़ शोरूम के पास, सांताक्रुज़ (पूर्व), मुंबई 400 098
सीआईएन नं.: L67120MH2008PLC181833
शाखा कार्यालय: लखनऊ

L&T Finance

गिरवी संपत्ति की बिक्री के लिए सार्वजनिक नीलामी

वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रभावीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत एल&टी फाइनान्स लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोगांतर्गत अपनी बकाया राशियों एवं आगामी ब्याज, प्रभारों, शुल्कों एवं व्ययों आदि की वसूली हेतु **''सार्वजनिक निलामी''** के माध्यम से **''जहाँ है''** और **''जैसी स्थिति में है''** आधार पर निम्नांकित संपत्ति की नीलामी की जा रही है.

कर्जदार और सह–कर्जदार का नाम	सिक्योर्ड प्रॉपर्टी का पता	लोन अकाउंट नंबर	लिया गया भौतिक कब्जा	अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट आरपी का 10% या अधिक (₹ में)	सिक्योर्ड डेब्ट	आरक्षित मूल्य (₹ में)	निरीक्षण का दिनांक	नीलामी का दिनांक और समय
1. आमिर हुसैन 2. आशिया बानो 3. अफसर हुसैन 4. मे. आई लुक ऑप्टिकल्स (इसके स्वामी अफसर हुसैन के माध्यम से) 5. मे. ए बी वर्क्स (इसकी स्वामी आशिया बानो के माध्यम से)	**अनुसूची–1** संपत्ति के सभी हिस्से एवं भाग, जिसके विवरण इस प्रकार हैं : मकान नं. एसएस–1/201, टाइप ईडब्ल्यूएस, जिसका क्षेत्रफल 85.68 वर्ग मीटर है, जो सेक्टर ए, सीतापुर रोड योजना, वार्ड भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिला लखनऊ 226024 पर स्थित है। चतुर्सीमाएँ: पूर्व: मकान नं. एसएस–1/216; पश्चिम: 7.5 मी. रास्ता; उत्तर: खुली भूमि; दक्षिण: मकान नं. एसएस–1/202 **अनुसूची–2** संपत्ति के सभी हिस्से एवं भाग, जिसके विवरण इस प्रकार हैं : दुकान नं. 17, जिसका क्षेत्रफल 150 वर्ग फीट है, एवं दुकान नं. 18, जिसका क्षेत्रफल 150 वर्ग फीट है, जो लोअर ग्राउंड फ्लोर पर है, जो आशीर्वाद प्लाज़ा, प्लॉट नं. सीपीए, सीतापुर रोड स्कीम, वार्ड भारतेंदु हरिश्चंद्र, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 226024 पर स्थित है। चतुर्सीमाएँ : पूर्व: गैलरी 6 फीट; पश्चिम: दुकान नं. एलजीएफ 19; उत्तर: दुकान नं. एलजीएफ 24 एवं एलजीएफ 23; दक्षिण: गैलरी 6 फीट **अनुसूची–2** संपत्ति के सभी हिस्से एवं भाग, जिसके विवरण इस प्रकार हैं : ईएस–1/644, टाइप–ए, जिसका कुल क्षेत्रफल 36.75 वर्ग मीटर है, जो सेक्टर ए, सीतापुर रोड एस, सी–वार्ड भारतेंदु हरिश्चंद्र, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 226024 में स्थित है। चतुर्सीमाएँ: पूर्व: 1/645; पश्चिम: 1/643; उत्तर: 4.5 मीटर; दक्षिण: 1/637	H14977230921022237 & H14977270921113126 & H14977270921110800 & LUCHL20000022 & H14977300921030239 & H14977300921044047 & H14977270921113126L	28-04-2026/ 21-05-2026	रु. 4,19,900/- रु. 4,27,500/- रु. 2,31,075/-	मॉंग सूचना दिनांक 14/02/2023 के अनुसार, दिनांक 06/02/2023 तक कुल बकाया राशि रु. 1,43,75,491.97/- है।	रु. 41,99,000/- (बोली वृद्धि मूल्य रु. 25,000/-) रु. 41,99,000/- (बोली वृद्धि मूल्य रु. 25,000/-) रु. 23,10,750/- (बोली वृद्धि मूल्य रु. 10,000/-)	दिनांक 16/10/2026 को सुबह 10.00 बजे से शाम 5.30 बजे तक, पूर्व निर्धारित समय के साथ	28/10/2026, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

सार्वजनिक निलामी के नियम व शर्तें

1. एसएआरएफएईएसआई कानून के प्रावधानों के अंतर्गत सार्वजनिक ई–नीलामी मोड की सहायता से और के ज़रिए ई–नीलामी बिक्री वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/ के माध्यम से अधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन संचालित की जा रही है.
2. यह सार्वजनिक ई–नीलामी उपरोक्त तिथि एवं समय पर संचालित की जाएगी, जब उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति **''जहाँ है'' और ''जैसी स्थिति में है'' आधार पर बेची जाएगी.**
3. इस सार्वजनिक ई–नीलामी में भाग लेने के लिए, इसकी मंशा रखने वाले क्रेताओं/बोलीकर्ताओं को 27/10/2026 को शाम 6:00 बजे या उससे पहले पेनकार्ड, कंपनी होने की स्थिति में मंडल संकल्पों और पते के प्रमाण की प्रतियों के साथ इन सुरक्षित संपत्तियों के आरक्षित मूल्य के 10% की वापसी योग्य बयाना धनराशि जमा के भुगतान के विवरण जमा करने होंगे.
4. इस सार्वजनिक ई–नीलामी में सफल न होने वाले अन्य सभी बोलीकर्ताओं की ईएमडी को सार्वजनिक ई–नीलामी के समापन के 7 दिन के भीतर एलटीएफ द्वारा वापस कर दिया जाएगा. इस ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा.
5. सफल क्रेता/बोलीकर्ता द्वारा उसके प्रस्ताव का 25% (ईएमडी सहित) भाग 28/10/2026 को यानी ई–नीलामी के दिन शाम 18.00 बजे या उससे पहले या उसके अगले कार्यदिवस यानी 29/10/2026 को जयपुर में देय ''एल&टी फाइनान्स लिमिटेड'' के पक्ष में डीडी/पीओ के माध्यम से जमा करवाया जाएगा, जिस जमा की पुष्टि एल&टी फाइनान्स लिमिटेड द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें असफल रहने पर विक्रय को असफल माना जाएगा और उक्त सफल बोलीकर्ता की ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा. शेष राशि यानी क्रय राशि का 75% भाग क्रेता द्वारा एल&टी फाइनान्स लिमिटेड को अचल संपत्ति के विक्रय की पुष्टि होने के पंद्रह दिन या उसस